

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-II में प्रकाशनार्थ)


भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक : जनवरी, 2017

अधिसूचना

भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान सोसायटी नियम के नियम 7 के उप नियम (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार श्री सुनील अरोड़ा, आईएएस (सेवानिवृत्त) (आरजे :80) को 19 दिसंबर, 2016 की अपराह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु होने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो पहले हो, के लिए भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान में महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करती है।

फा. संख्या 7-2/2016-आईआईसीए


(जानेश्वर कुमार सिंह)

भारत सरकार के संयुक्त सचिव
दूरभाष संख्या : 011-23383345

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय
मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. श्री सुनील अरोड़ा, 67, न्यू मोती बाग, लीला पैलेस होटल के निकट, नई दिल्ली-21
2. कारपोरेट कार्य मंत्री के निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री के निजी सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. सचिव, कारपोरेट कार्य के पीएसओ
5. अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
7. संयुक्त सचिव (बी)/ संयुक्त सचिव (जी)/ संयुक्त सचिव (के)/ संयुक्त सचिव (एसी) के निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
8. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग
9. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर रखा जाए।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, मानेसर, हरियाणा
11. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, मंत्रीमंडलीय नियुक्ति समिति सचिवालय (श्री अरविन्द ठाकुर, अवर सचिव) नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 15.12.2016 के पत्र संख्या 18/76/2016-ईओ(एसएन-II) के संदर्भ में।
12. गार्ड फाइल।